5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नि। 3226/II/15

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण

श्री मुकेश भार्गव अभि० द्वारा आज दि. 30.9.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 30.9.15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
30-9-15 एडवोकेट
ग्वालियर

जसवीर सिंह पुत्र ईश्वर सिंह जाटव
निवासी सी– 693, मॉडल टाऊन रोहतक
हरियाणा कृषक ग्राम चौपरा तहसील व
जिला पन्ना (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. मिटढू पिता जगन्नाथ दहिया
निवासी ग्राम मझगंवा तह. व जिला पन्ना
2. मान सिंह पुत्र बंशरूप सिंह ठाकुर
3. महेन्द्र सिंह पिता बंशरूप सिंह ठाकुर
दोनों निवासी ग्राम सकरिया तह. व जिला पन्ना
4. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

न्यायालय नायब तहसीलदार पन्ना जिला पन्ना द्वारा प्र.कं. 42/ए–6ए/06–07 में पारित आदेश दिनांक 5.11.07 केविरूद्ध म. प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, ग्राम चौपरा प.ह.नं. 11/30 राजस्व निरीक्षक मण्डल ककरहटी तहसील व जिला पन्ना में स्थित आराजी कं. 164/2 रकवा 2.00 हे. भूमि का राजस्व प्र.कं. 12/अ19(ब) वर्ष 1985–86 में पारित आदेश दिनांक 29.9.86 एवं प्र.कं. 5/अ–19(ब) वर्ष 1985–86 में पारित आदेश दिनांक 26.09.86 द्वारा अनावेदक कं. 1 मिटठू व ग्राम के अन्य कई व्यक्तियों को पटटे बंटित किये

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3226-दो/2015 जिला पन्ना जसवीर विरूद्ध मिटढू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार पन्ना जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 42/ए-ए/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 05-11-2007 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-09-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

11.02.19

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 11.02.19 सदस्य	